22.7.23 उभय पक्ष उपस्थित। उभय पक्ष के

विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा दाखिल दस्तावेजों का अवलोकन किया। उभय पक्ष के द्वारा प्रश्नगत भूमि पर अपना दखल-कब्जा एवं दावा किया जा रहा है। थाना प्रभारी, बिरनी एवं अंचल अधिकारी, बिरनी के प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि उभय पक्षों के बीच दखल-कब्जा को लेकर विवाद है जिससे लोक परिशांति भंग हो सकती है। अतः इस वाद को द.प्र.सं. की धारा-145 के अंतर्गत दखल-कब्जा निर्धारण हेतु परिवर्तित करता हूँ तथा तत्काल प्रभाव से द.प्र.सं. की धारा 146(1) के तहत अटैच करते हुये थाना प्रभारी, बिरनी

आदेश की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	को रिसिवर बहाल करता हूँ। जब्त वारंट निर्गत करें तथा उभय पक्षों से स्वत्व-कब्जा के बिन्दु पर लिखित कथन मांगें। दिनांक 8/08/23 को अभिलेख उपस्थापित करें। ह०	

Digitally signed by KUNDAN KUMAR
Date: 2023.07.22 16:38:24 +05:30
Location: 192.168.1.10